न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 10/2015

प्रार्थी

1.लिछमणराम पुत्र नाथूराम जाति जाट उम्र 60 वर्ष निवासी रसाल तहसील कुचामनसिटी

बनाम

अप्रार्थीगण

1. मोतीराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी रसाल तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
2. कानाराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी रसाल तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
3. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि (भूमिधारी) तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर

प्रार्थना–पत्र बाबत दिलाने रास्ता अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
श्री पुष्पेन्द्रसिंह अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1एवं 2 की ओर से

आदेश

दिनांक :– 7/10/15

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 251 ए का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम रसाल तहसील कुचामनसिटी में प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुदा स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 594 रकबा 3.29 हैक्टर स्थित चली आ रही है । जिसमें आने–जाने के लिए मौके पर किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नही है । जिससे प्रार्थी के खेत मे आने जाने का आवागमन बिल्कुल बन्द है तथा किसी भी प्रकार का कोई कटाणी या वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है । जिससे प्रार्थी की भूमि मे आने जाने का आवागमन बिल्कुल बन्द है । प्रार्थी के खातेदारी कब्जासुदा स्वामित्व की भूमि में आने जाने, मवेशी,छकड़ा व ट्रेक्टर लाने ले जाने के लिए रास्ता मौके पर नही होने से प्रार्थी को भारी असुविधाओ का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए भूमि में आने जाने व मवेशी,छकड़ा,ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिए रास्ता दिलवाया जाना आवश्यक है । प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 594 में आने जाने के लिए मात्र रास्ता रसाल जाने वाले कटाणी रास्ते से फटकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदारी व कब्जासुद भूमि खसरा नम्बर 591 रकबा 3.52 हैक्टर मे स्थित भूमि की दक्षिणी सींव के पास–पास प्रार्थी के खातेदारी व कब्जासुद स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 594 की भूमि में प्रवेश करता है । इस रास्ते के अलावा अन्य कोई किसी भी प्रकार का रास्ता नही है और यही रास्ता सबसे नजदीक पड़ता है । इसलिए खसरा नम्बर 591 की दक्षिणी सींव के पास पास 108 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौड़ा रास्ता दिलवाया जाना आवश्यक है जो नजरी नक्शा में मार्क ए से बी दर्शाया गया है । उक्त रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जावे तथा सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रार्थी अदा करने को तैयार है । प्रार्थी की इस्तदुआ है कि प्रार्थी की खातेदारी सुदा भूमि ग्राम रसाल के खसरा नम्बर 594 में आने जाने मवेशी,छकड़ा व ट्रेक्टर लाने ले जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी व कब्जासुदा भूमि खसरा नम्बर 591 ग्राम रसाल में नजरी नक्शा अनुसार 108 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौड़ा कटाणी रास्ता कायम किया जाकर प्रार्थी को रास्ता दिलाया जावें ।

...............2..........

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Web Copy - Not Official

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी को खसरा नम्बर 591 की बजाय खसरा नम्बर 588,589,590 मे उत्तरी तरफ पश्चिम से पूर्व सींव के सहारे सहारे रास्ता दिया जावे जो प्रार्थी के नजदीक रहेगा । अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा मौका वस्तु स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है । जो शामिल मिसल उपलब्ध है ।

पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा अप्रार्थी 1 व 2 की भूमि खसरा नम्बर 591 मे से रास्ता नजरी नक्शा अनुसार 108 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौड़ा दिया जाने का निवेदन किया तथा डीएलसी दर की दोगुनी राशि बतौर मुआवजा अप्रार्थी को भुगतान किये जाने का कथन किया है । अप्रार्थीगण ने अपने जवाब को दोहराते हुए खसरा नम्बर 591 में से रास्ता नही दिया जाकर खसरा नम्बर 588,589,590 मे से रास्ता दिये जाने का कथन किया है । तहसीलदार की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि प्रार्थी की कृषि भूमि के नजदीक होने का उल्लेख किया है तथा खसरा नम्बर 594 मे आने जाने हेतु प्रार्थी के अन्य कोई रास्ता नही होना बताया है । सबसे नजदीकी रास्ता रसाल से ग्राम लादड़िया जाने वाली ग्रेवल सड़क से खसरा नम्बर 591 की दक्षिणी सींव के सहारे सहारे है,खसरा नम्बर 591 की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि मे किसी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर नही है तथा न ही कोई पेड़ स्थित है । खसरा नम्बर 594 में प्रवेश हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं बहस के मनन से स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 594 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 591 मे नजरी नक्शे में अकित लाल स्याही से दर्शाये ए स बी तक 110 मीटर लम्बाई तथा 6 मीटर चौड़ाई से 660 मीटर भूमि रास्ते उपयोग हेतु दी जाना उचित है । अतः प्रार्थी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है ।

आदेश

ग्राम रसाल, तहसील कुचामन के खसरा संख्या 594 में प्रार्थी द्वारा आमद–रफत हेतु खसरा संख्या 594 की दक्षिणी सीमा पर 110 मीटर लम्बाई तथा 6 मीटर चौड़ा कुल 660 मीटर कुल रकबा 0.0660हैटर का रास्ता सरकारी घोषित किया जाता है। ग्राम रसाल की भूमि डीएलसी दर 255000/– रूपये प्रति हैक्टर होने से 0.0660 है0 की दर 16830/–रूपये की दो गुनी दर 33660/– रूपये प्रार्थी द्वारा जरिये बैंक ड्राफ्ट/बैंक चैकर द्वारा बैंक में जमा कराकर रसीद पेश करने पर राजस्व रेकड़ में अमल दरामद तहरीर जारी हो तथा अप्रार्थीगण 1 व 2 को सूचित किया जाता है कि अपने हक हिस्से की भूमि की मुआवजा राशि न्यायालय से 1 माह मे उपस्थित होकर प्राप्त कर लेवे। मिसल नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 7/11/15 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (नागौर)

DD No 408918 3/11/15

12/10 वकील श्री श्यामसुन्दर की प्रार्थना-पत्र पर पत्रावली तलब की गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया की टंकण की भूल से आदेश में खसरा 591 के स्थान पर 594 में लिखा (टंकण) गया है। जो कि दुरस्त करवाई। वकील प्रार्थी की प्रार्थना-पत्र से वकील प्रार्थी को सुना पर। निर्णय दि. 7/10/15 के आदेश का अवलोकन किया, टंकण के [illegible] खसरा 591 के स्थान पर खसरा 594 टंकण हो गया है जो लिपिकीय भूल टंकण के हुआ है जो आदेश दुरस्त होने से दुरस्त किया जाता खसरा 594 के स्थान पर खसरा 591 उक्त आदेश में दुरस्त किया जाता है बाकी आदेश यथावत रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)